

## कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० जल निगम (नगरीय), निदेशक मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 22.08.2022 के मद सं० 3.03 पर लिये गये निर्णय के अनुक्रम में एतद् द्वारा कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद को जनपद मेरठ में स्थानान्तरित किया जाता है। यह कार्यालय अब महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), मेरठ के नाम से जाना जायेगा। मण्डल कार्यालय के स्थानान्तरण के फलस्वरूप इस कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक मण्डल कार्यालय सहित मेरठ जनपद हेतु जनहित में स्थानान्तरित माने जायेंगे। मण्डल कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्न खण्ड कार्यरत होंगे:-

1. नागर कार्य इकाई (द्वितीय), मेरठ
2. निर्माण खण्ड, बुलन्दशहर
3. निर्माण इकाई, सहारनपुर
4. नागर कार्य इकाई, मुजफ्फरनगर

उक्त के फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, अष्टदश मण्डल, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्न खण्ड कार्यरत होंगे:-

1. अतिरिक्त निर्माण इकाई, गाजियाबाद
2. अतिरिक्त प्रकल्प खण्ड, गाजियाबाद
3. यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम), गाजियाबाद
4. दिल्ली जलसम्पूर्ति रखरखाव इकाई, गाजियाबाद
5. गंगाजल परियोजना इकाई, गाजियाबाद
6. निर्माण खण्ड, नोयडा (गौतमबुद्ध नगर)

महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), मेरठ के कार्यालय हेतु आवश्यक साज सज्जा/वाहन आदि की व्यवस्था स्थानीय इकाई द्वारा की जायेगी।

उक्त के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप सं० 1011/प्र-1/2005-0507/21, दिनांक 23.09.2021 उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। यह आदेश दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी होगा।

(अनिल कुमार)  
प्रबन्ध निदेशक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।


प्रतलिपि विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

(नवीन गुप्ता)  
मुख्य अभियंता (कार्मिक)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) ।
3. निदेशक, सी०एण्ड० डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) ।
4. विधि परामर्शदाता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) ।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) ।
6. मैनेजर, ई०डी०पी० सेल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) ।
8. समस्त मान्यता प्राप्त संगठन, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) ।
9. मुख्यालय के समस्त अधिकारी /अनुभाग ।
10. गार्ड फाइल ।



(एस० के० गौतम)  
सचिव (प्रशासन)